

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

आदेश

संचिका संख्या-17/विविध 1-04/2026- 33(17) पटना, दिनांक- 09/10/2026

राज्य के राजकीय चिकित्सा महाविद्यालयों से पी०जी०/डिप्लोमा उत्तीर्ण (सत्र-2022-2025) छात्रों को कॉलम-05 में अंकित संस्थानों से सीनियर रेजिडेन्सी/द्यूटरशिप करने हेतु विभागीय आदेश संख्या-1092(17) दिनांक-04.10.2025 में निहित शर्तों के अधीन अनापत्ति प्रमाण-पत्र इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि चयन नहीं होने अथवा चयनोपरान्त टेन्डोर अवधि पूर्ण करने के तत्काल बाद अनिवार्य बॉण्ड सेवा पूर्ण करेंगे :-

क्र० सं०	नाम	जन्म तिथि	उत्तीर्ण संस्थान/ पदस्थापित चिकित्सा संस्थान का नाम	सीनियर रेजिडेन्सी/द्यूटरशिप करने संबंधी संस्थान का नाम
1	2	3	4	5
01	SAKSHI PRIYA MS (General Surgery)	11-09-1997	NALANDA MEDICAL COLLEGE, PATNA	AIIMS, Deoghar
02	SHUBHRA DUTTA MD (Skin&VD)	23-10-1998	NALANDA MEDICAL COLLEGE, PATNA	AIIMS, Raipur एवं IGIMS, Patna
03	RUPAM KUMARI MD (Pathology)	08-04-1989	DARBHANGA MEDICAL COLLEGE, DARBHANGA	AIIMS, Patna
04	RADHA PANDEY MS (General Surgery)	09-02-1998	NALANDA MEDICAL COLLEGE, PATNA	AIIMS, Bhopal
05	VAIBHAV KUMAR MD (Respiratory Medicine)	15-01-1996	NALANDA MEDICAL COLLEGE, PATNA	AIIMS, Deoghar
06	RAHUL KUMAR MD (Skin&VD)	31-10-1990	NALANDA MEDICAL COLLEGE, PATNA	AIIMS, Patna एवं IGIMS, Patna
07	HARSH PRATAP MD (Paediatrics)	19-07-1996	PATNA MEDICAL COLLEGE, PATNA	AIIMS, Patna

2. उक्त चिकित्सक जिस चिकित्सा महाविद्यालय से पी०जी०/डिप्लोमा उत्तीर्ण किये हैं, उस चिकित्सा महाविद्यालय के प्राचार्य अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी द्वारा निर्गत Bonafide Certificate एवं उनके सभी शैक्षणिक प्रमाण-पत्रों आदि की अभिप्रमाणित छायाप्रति संबंधित चिकित्सा संस्थानों में सीनियर रेजिडेन्ट/द्यूटर के पद हेतु काउंसिलिंग/साक्षात्कार में मान्य होगा।

उक्त में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

(रिणु कुमारी)
विशेष कार्य पदाधिकारी।

रिणु कुमारी
2026

ज्ञापांक :-17/विविध 1-04/2026-33(17) पटना, दिनांक :- 09/01/2026

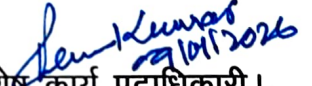
प्रतिलिपि:- महालेखाकार (ले० एवं ह०) का कार्यालय, बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- संबंधित असैनिक शल्य चिकित्सक सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, बिहार तथा सभी संबंधित चिकित्सा संस्थान के निदेशक/अधीक्षक/उपाधीक्षक/प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- संबंधित बंध पत्र से आच्छादित छात्र को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- सभी प्राचार्य/अधीक्षक, राज्य के राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- आई० टी० मैनेजर/प्रोग्रामर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को वेबसाईट पर प्रकाशन हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


विशेष कार्य, पदाधिकारी।